मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग–म.प्र. शासन)
द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन, 1 अरेरा हिल्स् भोपाल (मध्यप्रदेश) पिन–462011
फोन–0755–2570433 फैक्स : 0755 –2556619
E mail: - sunilasharmaraja@gmail.com, mpsacs@gmail.com Website: - www. mpsacsb.org

क्र. / एड्स / एस.पी.एम / 20–21 / 189 भोपाल, दिनांकः 20/1 /2021

प्रति,

समस्त, परियोजना संचालक,
लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना / लिंक वर्कर स्कीम,
मध्यप्रदेश

विषयः–पीएलएचआईवी **व एचआरजी व्यक्तियों के 'आयुष्मान कार्ड' के सम्बन्ध में आधारभूत जानकारी एवं प्रक्रिया।**

पीएलएचआईवी व एचआरजी को शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ दिलाये जाने हेतु Mainstreaming का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना **'आयुष्मान कार्ड'** के लिए पीएलएचआईवी व एचआरजी की पात्रता ज्ञात करने हेतु, जानकारी प्राप्त करने का प्रारूप, प्रक्रिया व मासिक प्रतिवेदन प्रपत्र पत्र के साथ संलग्न है। आयुष्मान कार्ड के लिए लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना / लिंक वर्कर स्कीम के उत्तरदायित्व व समयसीमा निम्नानुसार हैं :–

क्र.	कार्य	प्रक्रिया
1.	आयुष्मान कार्ड के लिए लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना / लिंक वर्कर स्कीम केन्द्र के उत्तरदायित्व :–	1. पंजीकृत पीएलएचआईवी व एचआरजी को एस.एम.एस. भेजना। 2. डीएसी केन्द्र पर पीएलएचआईवी व एचआरजी के आने पर फॉर्म भरवाना। 3. भरे गये फॉर्मों को रजिस्टर में दर्ज करना। 4. दी गयी जानकारी के आधार पर पीएलएचआईवी व एचआरजी की पात्रता चेक करना। 5. पात्र पाये गये पीएलएचआईवी व एचआरजी का आयुष्मान कार्ड बनवाना। 6. मासिक रिपोर्ट भेजना।
2.	आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु समयसीमा :–	1. सभी पीएलएचआईवी व एचआरजी को 15 दिवस में एस.एम.एस. भेज दिये जावें। 2. जो पीएलएचआईवी व एचआरजी स्थानीय हैं उन्हें केन्द्र पर बुलाकर उनके फॉर्म 15 दिवस में भर लिये जायें। 3. शेष अन्य पीएलएचआईवी व एचआरजी के फॉर्म उनकी आगामी ड्यू डेट पर भरवा लिये जायें। 4. जिनके फॉर्म प्राप्त हो जायें उनकी पात्रता 7 दिवस में चेक कर ली जाये। 5. सभी पात्र पीएलएचआईवी व एचआरजी के आयुष्मान कार्ड 02 माह में बनवा लिये जायें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्य प्राथमिकता के आधार पर अधिकतम 02 माह में पूर्ण करने का कष्ट करें।
संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(डॉ. के.डी. त्रिपाठी)
IAS
परियोजना संचालक
मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

प्रतिलिपि–

क्र. / एड्स / एस.पी.एम / 20–21 / 190 भोपाल, दिनांक: 20/1 /2021

1. समस्त जिला नोडल अधिकारी, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, मध्यप्रदेश।
2. टीम लीडर, टीएसयू, मध्यप्रदेश।

परियोजना संचालक

आयुष्मान भारत (निरामयम्) योजना के लिए कार्ड बनवाने हेतु प्रक्रिया

क्र.	कार्य	प्रक्रिया
1.	आयुष्मान भारत 'निरामयम' स्कीम क्या है ?	आयुष्मान भारत योजना (ABY) हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसके तहत गरीब लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक के इलाज के लिए कैशलेश कवरेज प्रदान किया जाता है
2.	आयुष्मान भारत स्कीम का उद्देश्य क्या है ?	PM-JAY का उद्देश्य गरीब, वंचित ग्रामीण परिवारों और शहरी श्रमिकों के परिवारों की चिन्हित कैटेगरी को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक के इलाज के लिए कैशलेश कवरेज का लाभ देना है.
3.	आयुष्मान भारत स्कीम की पात्रता क्या है ?	सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 में चिन्हित डी.–1 से डी.–7 (डी.–6 छोड़कर) वंचित श्रेणी के ग्रामीण परिवार सम्मिलित होंगे एवं चिन्हित व्यवसाय आधारित शहरी परिवार सम्मिलित रहेंगे।
4.	आयुष्मान भारत के लिए पात्रता है या नहीं यह कैसे पता करेंगे ?	पात्रता को पता करने के लिए https://mera.pmjay.gov.in/ मेरा पी.एम.जे.वाय. की वेबसाईट पर जाकर अपने मोबाईल से लॉगिन करें, मोबाईल पर ओ.टी.पी. आयेगा, जिसे डालने के बाद पात्रता को चेक किया जा सकता है।
5.	पात्रता पता करने के लिए कौन से दस्तावेज सहायक हो सकते हैं?	पात्रता पता करने में निम्नानुसार दस्तावेज सहायक हैं :– 1. सर्वे के समय पंजीकृत कराया गया मोबाईल नम्बर 2. राशनकार्ड नम्बर 3. आयुष्मान भारत के अन्तर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र में लिखी एच.एच. आई.डी. 4. आवेदक का नाम इसके अतिरिक्त निम्न दस्तावेज भी सहायक हैं, जिनकी फोटो कॉपी चाहिये होगी :– • आपका राशन कार्ड (नीला/पीला, पात्रता पर्ची), • वोटर आईडी,

	• आधार कार्ड, • समग्र आईडी एवं • बीपीएल कार्ड • सम्बल योजना का कार्ड
6.	आयुष्मान भारत स्कीम के लाभ क्या है ?	I. आयुष्मान भारत योजना (ABY) के अनेकों लाभ है ,जिसके तहत गरीब लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक के इलाज के लिए कैशलेश कवरेज प्रदान किया जाता है, जिसके तहत अस्पताल में दाखिल होने से पहले और बाद के खर्च भी कवर किये जाते हैं II. यह स्कीम कैशलेश और पेपरलेस है, इसके तहत सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराया जा सकेगा.आयुष्मान भारत योजना (ABY)का लाभार्थी अस्पताल में एडमिट होने के लिए कोई चार्ज नहीं चुकाएगा. अस्पताल में दाखिल होने से लेकर इलाज तक का सारा खर्च इस योजना में कवर किया जायेगा. सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में करीब 15,400 अस्पताल को भी जोड़ा गया है. जिनमें से 50 प्रतिशत निजी अस्पताल हैं.
7.	आयुष्मान भारत स्कीम के लाभ लेने के लिए ART में रजिस्टर्ड क्लाइंट के लिए प्रक्रिया क्या है ?	I. यह स्कीम ART में रजिस्टर्ड क्लाइंट हेतु भी है जिनके नाम सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 की सरकार के सर्वे लिस्ट में हैं। पात्रता का पता करने के लिए परिशिष्ट–1 पर दिये गये प्रपत्र में सभी क्लाइंट्स से जानकारी मंगाई जावे। यह जानकारी ए.आर.टी./सी.एस.सी. स्टाफ द्वारा एकत्रित की जावे। II. सभी दस्तावेजों के साथ भरा हुआ फॉर्म प्राप्त होने पर उसे ए.आर.टी./सी.एस.सी. स्टाफ द्वारा रजिस्टर में दर्ज कर, रजिस्टर का सीरियल नम्बर फॉर्म के उपर लिखा जावे।

		III. फॉर्म में दी गयी जानकारी के आधार पर वेबसाईट से पात्रता का पता कर लें। ऐसा हो सकता है कि वेबसाईट से पात्रता की जानकारी न मिल पाये तो पेशेंट की समग्र आई.डी. के आधार पर चिकित्सालय में स्थापित आयुष्मान मित्र की सहायता से पात्रता पता कर लें। जो क्लाइंट योजना के लिए पात्र पाये जाते हैं उनका फॉर्म एम.पी.आॅनलाईन के माध्यम से भरवाकर आयुष्मान कार्ड बनवाये जा सकते हैं। एम.पी.आॅनलाईन द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने का 30 रुपये चार्ज लिया जायेगा, जो क्लाइंट को स्वयं देना होगा। जिन क्लाइंट के पहले से आयुष्मान कार्ड बने हैं उसकी कॉपी प्राप्त करके ए.आर.टी./सी.एस.सी. द्वारा डाटा में अपडेट कर लें व आयुष्मान कार्ड पर दिये गये नम्बर से परिवार के अन्य सदस्यों की पात्रता ज्ञात कर लें। यदि परिवार के अन्य सदस्यों के कार्ड नहीं बने हैं तो उन्हें बनवा लें।
8.	ए.आर.टी. पंजीकृत कार्ड बनवाने सम्बन्धी जानकारी कैसे दी जाये?	1. ए.आर.टी. केन्द्र पर आयुष्मान कार्ड योजना से सम्बन्धित एक बैनर बनाकर लगा दिया जाये। 2. सी.एस.सी. द्वारा प्रत्येक क्लाइंट को एस.एम.एस. भेजा जाये, जिसका प्रारूप निम्नानुसार हो सकता है :- "आयुष्मान भारत निरामय योजना" के अन्तर्गत पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज हेतु अपने दस्तावेज– राशन कार्ड (नीला/पीला, पात्रता पर्ची),वोटर आईडी, आधार कार्ड,समग्र आईडी, बीपीएल कार्ड एवं सम्बल कार्ड की फोटो कॉपी ए.आर.टी. केन्द्र में श्री ...... (सी.एस.सी. स्टाफ का नाम, मोबाईल नम्बर) के पास जमा करें।

9.	आयुष्मान कार्ड के लिए लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना/लिंक वर्कर स्कीम केन्द्र के उत्तरदायित्व:-	1. पंजीकृत पीएलएचआईवी व एचआरजी को एस.एम.एस. भेजना। 2. डीएसी केन्द्र पर पीएलएचआईवी व एचआरजी के आने पर फॉर्म भरवाना। 3. भरे गये फॉर्मों को रजिस्टर में दर्ज करना। 4. दी गयी जानकारी के आधार पर पीएलएचआईवी व एचआरजी की पात्रता चेक करना। 5. पात्र पाये गये पीएलएचआईवी व एचआरजी का आयुष्मान कार्ड बनवाना। 6. मासिक रिपोर्ट भेजना।
10.	आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु समयसीमा :–	1. सभी पीएलएचआईवी व एचआरजी को 15 दिवस में एस.एम.एस. भेज दिये जावें। 2. जो पीएलएचआईवी व एचआरजी स्थानीय हैं उन्हें केन्द्र पर बुलाकर उनके फॉर्म 15 दिवस में भर लिये जायें। 3. शेष अन्य पीएलएचआईवी व एचआरजी के फॉर्म उनकी आगामी ड्यू डेट पर भरवा लिये जायें। 4. जिनके फॉर्म प्राप्त हो जायें उनकी पात्रता 7 दिवस में चेक कर ली जाये। 5. सभी पात्र पीएलएचआईवी व एचआरजी के आयुष्मान कार्ड 02 माह में बनवा लिये जायें।

आयुष्मान कार्ड के सम्बन्ध में जानकारी हेतु प्रपत्र

(A) आधारभूत जानकारी :–

स.क्र.	विवरण	
1.	प्री–एआरटी नम्बर	
2.	एआरटी नम्बर	
3.	नाम	
4.	पिता या पति का नाम	
5.	उम्र	
6.	लिंग	
7.	पूरा पता	

(B) आयुष्मान कार्ड हेतु जानकारी :–

स.क्र.	विवरण				
1.	आयुष्मान कार्ड है अथवा नहीं	उपलब्ध है / नहीं है			
2.	आयुष्मान कार्ड का नम्बर (अगर हो)				
3.	फोन नम्बर नया				
4.	अन्य फोन नम्बर				
5.	बी.पी.एल. नम्बर (अगर हो)				
	बी.पी.एल. कार्ड किस पंचायत / जनपद / नगरपरिषद / नगरपालिका से बना है				
6.	राशनकार्ड का प्रकार (अगर हो)	नीला	पीला	सफेद	नहींहै
7.	राशनकार्ड नम्बर (अगर हो)				
8.	पात्रता पर्ची नम्बर (अगर हो)				
9.	स्वयं का समग्र आईडी है या नहीं	उपलब्ध है / नहीं है			
10.	स्वयं का समग्र आईडी नम्बर				
11.	फेमिली समग्र आईडी नम्बर				
12.	आधारकार्ड नम्बर (अगर हो)				
13.	सम्बल योजना का कार्ड है	उपलब्ध है / नहीं है			
14.	सम्बल योजना कार्ड नम्बर				

नोट :–

1) इनमें से जो भी दस्तावेज उपलब्ध हों उनकी फोटो–कॉपी के साथ फॉर्म भरकर जमा करें।
2) भारत सरकार द्वारा 2011 में कराये गये सर्वे सूची में जिन परिवारों के नाम होंगे, मात्र उन्हीं परिवारों का आयुष्मान कार्ड बन सकता है। यह जानकारी एकत्रित करने का उद्देश्य मात्र यह जानना है कि व्यक्ति का नाम पात्रता सूची में है अथवा नहीं।
3) जिन व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड पहले से बन गया है, वे अपने कार्ड की फोटो–कॉपी इस फॉर्म के साथ जमा करें, जिस से परिवार के अन्य सदस्यों की पात्रता का पता किया जा सके।
4) यह फॉर्म व जानकारी भरकर जमा करने का तात्पर्य यह नहीं है कि आयुष्मान कार्ड बनेगा ही, कार्ड के लिए पात्रता चेक की जायेगी और यदि कार्ड के लिए व्यक्ति पात्र है तो उसे सूचित करेंगे व कार्ड बनवाने में सहायता की जावेगी।

दिनांक : .... **हस्ताक्षर**

आयुष्मान कार्ड–मासिक प्रगति रिपोर्ट

लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना/लिंक वर्कर स्कीम का नाम –...

जिला–...

माह ....

मासिक प्रगति :–

स.क्र.	विवरण	मासिक उपलब्धि	कुल उपलब्धि (Cumulative)
1.	रजिस्टर्ड पीएलएचआईवी/एचआरजी की संख्या		
2.	कितने लोगों को एस.एम.एस. भेजे गये (संख्या)		
3.	कुल कितने नये फॉर्म भरकर जमा हुए (संख्या)		
4.	कुल कितने क्लाइंट की पात्रता आयुष्मानकार्ड के लिए चेक की गयी (संख्या)		
5.	कुल कितने क्लाइंट के पास पहले से ही आयुष्मानकार्ड है (संख्या)		
6.	कुल कितने क्लाइंट आयुष्मानकार्ड के लिए पात्र हैं (संख्या)		
7.	कुल कितने क्लाइंट के नये आयुष्मान कार्ड बनवाये गये (संख्या)		
8.	पात्रता चेक करने के लिए माह के अंत तक कितने क्लाइंट के फॉर्म लम्बित हैं (संख्या)		

<u>नोट</u> :–

1) यह प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना/लिंक वर्कर स्कीम द्वारा भेजा जावेगा।

दिनांक : ....

हस्ताक्षर

नाम ....

पद ....

मोबाईलनं. ....